क्रम-संख्या–154(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू0 / एन0पी0–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2024

भाद्रपद 7, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–3

———

संख्या 06 / 2024 / 990 / 36–3–2024–1815418

लखनऊ, 29 अगस्त, 2024

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–24

जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2023) द्वारा यथासंशोधित बायलर अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1923) की धारा 29 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

समस्त आपत्तियाँ और सुझाव प्रमुख सचिव, श्रम अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ 226001 को सम्बोधित लिखित रूप में प्रेषित की जानी चाहिए।

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

नियमावली का प्रारूप

उत्तर प्रदेश बायलर शास्ति और अपील नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बायलर शास्ति और अपील नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में इसके अंतिम प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य बायलर अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1923) से है;

(ख) ''न्यायनिर्णायक अधिकारी'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 26क की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति से है;

(ग) ''अपील प्राधिकारी'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति से है;

(घ) ''बायलर'' का तात्पर्य ऐसे दबाव पात्र से है जिसमें ऊष्मा के अनुप्रयोग द्वारा उसके स्वयं के बाह्य उपयोग के लिये वाष्प उत्पन्न की जाती है जो वाष्प बंद कर दिये जाने पर पूर्णतः या भागतः दबावाधीन रहता है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा दबाव पात्र सम्मिलित नहीं है,–

(एक) जो 25 लीटर से कम क्षमता वाला है (ऐसी क्षमता भरणरोधी वाल्व से मुख्य वाष्परोधी वाल्व तक मापी जाती है); या

(दो) जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर एक किलोग्राम से कम डिजाइन गेज दबाव या क्रियाशील गेज दबाव वाला है; या

(तीन) जिसमें जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उष्मित किया जाता है;

(ङ) ''मुख्य निरीक्षक'', ''उप मुख्य निरीक्षक'' और ''निरीक्षक'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन क्रमशः मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''जांच'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 26क में उल्लिखित जांच से है;

(छ) ''स्वामी'' के अंतर्गत उसके स्वामी के अभिकर्ता के रूप में बायलर का कब्जा रखने वाला या उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है और बायलर का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे उसने किराए पर अथवा उधार के रूप प्राप्त किया है, सम्मिलित है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं।

जांच करने की रीति और शास्ति का अधिरोपण (धारा 26क के अधीन)

3–(1) निरीक्षक से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मुख्य निरीक्षक अधिनियम, नियमों और तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अनुसार मामले का परीक्षण करेगा कि जिसके अधीन स्वामी (स्वामियों) पर आरोप लगाया गया है क्या उल्लंघन अधिनियम की धारा 22, 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन शास्ति के साथ दंडनीय है या कोई उल्लंघन स्थापित नहीं है।

(2) यदि मुख्य निरीक्षक विनिश्चय करता है कि ऐसा उल्लंघन अधिनियम की धारा 22, 23, धारा 25 की उप–धारा (1) और धारा 30 के अधीन शास्ति से दंडनीय है, तो वह निरीक्षक को, स्वामी द्वारा किए गए अभिकथित अपराध जिसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास एक आवेदन (प्रपत्र क) दाखिल करने के लिये प्राधिकृत करेगा।

(3) मुख्य निरीक्षक से न्यायनिर्णयन आवेदन दाखिल करने के लिए प्राधिकृत करने वाली संसूचना प्राप्त होने पर, निरीक्षक अभिकथित रूप से किये गये उल्लंघन के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास आवेदन दाखिल करेगा।

(4) निरीक्षक से न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी अधिनियम की धारा 26क के अधीन जांच कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(5) अधिनियम की धारा 26क के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ जांच करने के लिए कि क्या किसी स्वामी (स्वामियों) ने अधिनियम की धारा 22, 23, धारा 25 की उपधारा (1) एवं धारा 30 के किसी उपबन्धों का उल्लंघन किया है या जिसके सम्बन्ध में उल्लंघन किये जाने का अभिकथन किया गया हो, न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रथमतः ऐसे स्वामी (स्वामियों) को नोटिस (नोटिस त–1) जारी करेगा जिसमें उसे या उन्हें 30 दिनों की अवधि के भीतर मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(6) ऐसे स्वामी (स्वामियों) को दिये गये नोटिस में उसके या उनके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की प्रकृति, अधिनियम की धाराओं का अभिकथित उल्लंघन और मामले की सुनवाई का दिनांक उपदर्शित होगा। ऐसे नोटिस के साथ निरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी।

(7) सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी स्वामी (स्वामियों) या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अधिनियम का उपबंध उपदर्शित करते हुए जिसके सम्बन्ध में उल्लंघन किया जाना अभिकथित है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये अभिकथित अपराध को स्पष्ट करेंगे।

(8) न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे स्वामी (स्वामियों) को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को अगले दिनांक तक के लिए स्थगित किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि निर्णायक अधिकारी के पास सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, मामले को दाखिल करने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर संक्षेपतः निपटायेगा और देरी के कारण अभिलिखित करने के साथ 90 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा।

(9) इस नियम के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने हेतु बुलाये जाने और प्रवर्तित किये जाने की शक्ति होगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकती है।

(10) यदि कोई व्यक्ति उप–नियम (5) और (6) के अनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इंकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् एक अनुस्मारक जारी कर सकता है या ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही कर सकता है।

(11) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जिस स्वामी (स्वामियों) के विरुद्ध जांच की गई है, वह अधिनियम की धारा 22, 23, धारा 25 की उपधारा (1) तथा धारा 30 के किसी उपबंध के अधीन शास्ति का दायी है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी शास्ति का अधिरोपण कर सकता है, जिसे वह अधिनियम की सुसंगत धारा या धाराओं तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त समझे (प्रपत्र त–2):

परन्तु यह कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी।

(12) तथापि यदि, न्यायनिर्णायक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जिस स्वामी (स्वामियों) के विरूद्ध अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए जांच की गई है, वह संदेह से परे साबित अथवा साबित नहीं हुआ है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के कारण अभिलिखित करते हुए मामले को खारिज कर देगा।

(13) उप–नियम (11) के अधीन दिए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उन उपबन्धों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके संबंध में उल्लंघन हुआ है और ऐसे विनिश्चय के लिए संक्षिप्त कारण अन्तर्विष्ट किये जायेंगे। शास्ति अधिरोपित करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को अधिनियम की धारा 26 क के उपबन्धों का सम्यक ध्यान रखना होगा। ऐसी शास्ति को 60 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा।

(14) ऐसे प्रत्येक आदेश पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे एवं दिनांक अंकित किया जायेगा।

(15) न्यायनिर्णायक अधिकारी उप–नियम (11) या (12) के अधीन दिए गए आदेश की एक प्रति उस स्वामी (स्वामियों), जिनके विरूद्ध जांच की गई थी और निरीक्षक जिसने न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन दाखिल किया है, को भेजेगा।

(16) इन नियमों के अधीन जारी किया गया नोटिस या आदेश निम्नलिखित में से किसी भी रीति से उस स्वामी (स्वामियों) को तामील कराया जाएगा जिनके विरूद्ध न्यायनिर्णयन की कार्यवाही या जांच की गई थी :–

(एक) उस स्वामी (स्वामियों) या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को इसे परिदान या निविदान कर; या

(दो) इसे स्वामी (स्वामियों) को उनके निवास स्थान या उनके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजकर जहां उन्होंने कारबार किया या अंतिम बार कारबार किया या व्यक्तिगत रूप से कार्य किया या अंतिम बार लाभ के लिए कार्य किया; या

(तीन) यदि इसे उप–नियम (एक) या (दो) के अधीन विनिर्दिष्ट तरीके से तामील नहीं कराया जा सकता है, तो इसे उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर चिपका दें जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है या अंतिम बार निवास किया गया जाना जाता है या कारबार करता है या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या लाभ के लिए कार्य कर चुका है और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित की जानी चाहिए।

(17) यदि स्वामी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के 60 दिनों के भीतर, जब तक कि उच्च प्राधिकारी के पास अपील न की जाए, सरकार के कोषागार में जुर्माना धनराशि जमा नहीं करता है तो बायलर के मुख्य निरीक्षक प्रपत्र त–3 में नोटिस जारी करने के लिए कार्यवाही करेंगे, जिसमें संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से उक्त धनराशि को अधिनियम की धारा 32 के अनुसार भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए कहा जाएगा।

धारा 26ख के अधीन अपील करने की रीति

4–(1) अधिनियम की धारा 26क के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के विनिश्चय से उद्भूत अधिनियम की धारा 26ख के अधीन अपील, अपील प्राधिकारी (सचिव श्रम, उत्तर प्रदेश शासन) के पास प्रपत्र 'ख' में उस दिनांक से 60 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जायेगी, जिस दिनांक को उस आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील दाखिल की गई है, अपीलार्थी द्वारा प्राप्त की जाती है।

(2) 60 दिनों की अवधि की समाप्त होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने के लिये पर्याप्त कारण थे।

(3) अपील के साथ नियम 3 के उप–नियम (11) के अधीन जारी न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति तथा जिन तथ्यों के विरूद्ध अपील की गई है उनका स्पष्ट विवरण, अपील के आधार तथा अधिनियम की सुसंगत धाराएं संलग्न की जाएंगी।

(4) अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा लिखित रूप में या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा तीन प्रतियों में अपील प्रस्तुत की जाएगी।

(5) डाक द्वारा भेजी गई अपील प्राप्त होने के दिन ही अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई समझी जाएगी।

(6) यदि संवीक्षा करने पर अपील सही पाई जाती है, तो उसे सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण संख्या दी जाएगी।

(7) यदि संवीक्षा करने पर, अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो उसे पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात् अनुपालन के लिए वापस कर दिया जाएगा और यदि ऐसी सूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर या दी गई विस्तारित अवधि के भीतर, त्रुटि को परिशोधित नहीं किया जाता है, तो अपील प्राधिकारी, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अपील को रजिस्टर करने से इंकार कर सकता है।

(8) अपील की एक प्रति अपील प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को रजिस्ट्रीकृत होते ही, हाथ से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा दी जाएगी।

(9) अपील स्वीकार होने पर, अपील प्राधिकारी कार्यवाही से संबंधित अभिलेख संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी से मांग सकता है।

(10) प्रत्यर्थी, अपील की सूचना की तामील के 30 दिनों के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील पर उत्तर दाखिल कर सकता है।

(11) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे, तथा अपील किये गये आदेश की पुष्टि कर उसे अपास्त कर सकता है।

(12) अपील प्राधिकारी के आदेश पर हस्ताक्षर और दिनांक अंकित होंगे। अपील प्राधिकारी के पास लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के अधीन अंतरिम आदेश या व्यादेश पारित करने की शक्ति होगी, जिसे वह न्याय के हित में आवश्यक समझता है।

(13) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की प्रमाणित प्रति, यथास्थिति न्यायनिर्णायक अधिकारी और पक्षकारों को संसूचित की जाएगी।

(14) अपील का संक्षेपतः निपटारा, अपील प्राधिकारी को प्राप्ति के दिनांक से 60 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

प्रपत्र क

[**नियम 3(2) देखिए**]

सं0..... दिनांकः

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट

.....

विषयः बॉयलर अधिनियम, 1923 का अतिक्रमण

आदरणीय महोदय,

यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स..... के परिसर में, दिनांक.....(निरीक्षण ज्ञापन की प्रति संलग्न है) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा.....के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्री संख्या...../निर्माता संख्या..... वाला बॉयलर चलता पाया गया है। बॉयलर अधिनियम, 1923 के उल्लंघन में निम्नलिखित अतिक्रमण पाए गए हैं

.....

.....

.....

उपर्युक्त अतिक्रमण/अतिक्रमणों के लिए बॉयलर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अधीन विरचित उत्तर प्रदेश बायलर शास्ति और अपील नियमावली, 2024 के अनुसार शास्ति लगायी जा सकती है। इसलिए, इन नियमों के खंड 3 (2) के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 26 क और उत्तर प्रदेश बायलर शास्ति और अपील नियमावली, 2024 के अनुसार न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में उपर्युक्त प्रतिष्ठान को नोटिस भेजकर उचित कार्रवाई करें और यदि आवश्यक हो तो उक्त अधिनियम/नियम के अनुसार शास्ति लगाने के लिए जांच करें।

बायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः–

1–मुख्य बायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

नोटिस (त–1)

[नियम 3 (5) देखिए]

सं0..... दिनांकः

सेवा में,

.....

.....

.....

विषयः बायलर अधिनियम, 1923 का अतिक्रमण

आदरणीय महोदय,

मुख्य बायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, प्रपत्र–क में पत्र संख्या.....दिनांक.....(प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार, आप अपने कारखाने के परिसर में..... को.....पर बायलर रजिस्ट्री संख्या...../निर्माता संख्या.....का उपयोग करते पाए गए हैं, जो बायलर अधिनियम, 1923 की धारा..... का अतिक्रमण है।

मुख्य बायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित अतिक्रमणों की सूचना दी गई हैः–

.....

.....

.....

बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 22, 23, धारा 25 की उपधारा (1) तथा धारा 30 तथा उत्तर प्रदेश बायलर शास्ति और अपील नियमावली, 2024 के उपबन्धों के अनुसार उपरोक्त अतिक्रमण के लिए शास्ति का प्रावधान है।

इस नोटिस के माध्यम से आपको इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने तथा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। यदि 30 दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो पूर्वोक्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने हेतु आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट
(न्यायनिर्णायक अधिकारी)

संलग्न..... दिनांकितः

प्रतिलिपिः–

मुख्य बायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को पत्र संख्या.....दिनांक.....के संदर्भ में।

जिला मजिस्ट्रेट
(न्यायनिर्णायक अधिकारी)

शास्ति नोटिस (त–2)

[**नियम 3 (11) देखिए**]

सं0.....

दिनांकः

सेवा में,

मैसर्स.....

.....

.....

विषयः बायलर अधिनियम, 1923 का अतिक्रमण

आपको बायलर अधिनियम, 1923 की धारा.....के अतिक्रमण में बायलर रजिस्ट्री संख्या...../निर्माता संख्या.....के उपयोग के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिनांक.....के अनुसार एक नोटिस जारी किया गया था।

आपके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया गया है और इस प्रकार आपको बायलर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी पाया गया है।

आपको दिनांक..... को या उससे पहले सरकारी खजाने में केवल रु0.....की राशि जमा करने और सुसंगत खजाना रसीद की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। समय पर धनराशि जमा न करने की स्थिति में, यह धनराशि आपसे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जाएगी। बायलर अधिनियम, 1923 के अधीन उत्तर प्रदेश के मुख्य बायलर निरीक्षक द्वारा अनुमोदित/अनुमति दिए जाने तक बायलर का आगे उपयोग प्रतिषिद्ध है।

जिला मजिस्ट्रेट
(न्यायनिर्णायक अधिकारी)

प्रतिलिपिः–

मुख्य बायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को पत्र संख्या..... दिनांक..... के संदर्भ में।

(त–3) से नोटिस

[नियम संख्या–3(17)] देखिए]

कार्यालय मुख्य निरीक्षक बॉयलर्स उत्तर प्रदेश

वसूली प्रमाण–पत्र

सं0..... दिनांकः

उत्तर प्रदेश बायलर शास्ति और अपील नियमावली, 2024 के उपबन्धों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा मेसर्स.....को बायलर अधिनियम, 1923 की धारा.....के अतिक्रमण के लिए त–1 (सं0.....दिनांक.....) से नोटिस जारी किया गया था।

स्थापना का उत्तर न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा प्राप्त/विचारित नहीं किया गया और..... रुपये की दंड राशि सरकारी खजाने में जमा करने के लिए जुर्माना नोटिस (नोटिस त–2) जारी किया गया। प्रतिष्ठान इसे जमा करने में विफल रहा है।

अतः ''उत्तर प्रदेश बायलर शास्ति और अपील नियमावली 2024'' के नियम 3 (17) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि बायलर अधिनियम, 1923 के उल्लंघन के कारण मेसर्स..... .....से भू–राजस्व के बकाए के रूप में रु0.....की धनराशि वसूली योग्य है। यह धनराशि सरकारी खजाने में जमा की जा सकती है।

मुख्य निरीक्षक, बायलर्स, उत्तर प्रदेश

प्रपत्र 'ख'

[**नियम 4(1) देखें**]

अपील का ज्ञापन

अपील प्राधिकारी के समक्ष

बायलर अधिनियम, 1923 के विषय में

तथा

न्यायनिर्णायक अधिकारी.....(स्थान) द्वारा पारित आदेश.....दिनांक.....के विरुद्ध अपील के विषय में,

अपील संख्या.....

.....अपीलकर्ता

बनाम

.....प्रत्यर्थी

अपील प्राधिकारी के कार्यालय में उपयोग के लिए

अपील प्रस्तुत करने की तिथि

डाक द्वारा प्राप्ति की तिथि

रजिस्ट्रीकरण

सं0

हस्ताक्षर

अनुक्रमणिका

(नमूना अनुक्रमणिका)

क्रमांक	प्रदर्शित विवरण	पृष्ठ
1	अपील	
2	न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिनांक.....जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति।	
3	अपीलकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस पर भेजे गए दिनांक.....के उत्तर की प्रति।	
4	दिनांक.....के आक्षेपित आदेश की प्रति।	

अपील

.1–अपीलकर्ता का विवरण

(एक) अपीलकर्ता का नामः

(दो) अपीलकर्ता का पताः

(तीन) सभी नोटिसों की सेवा के लिए पताः

(चार) अपीलकर्ता का मोबाइल नंबरः

(पाँच) ई–मेल पता।

2–प्रत्यर्थी का विवरण

(एक) प्रत्यर्थी का नामः

(दो) प्रत्यर्थी का पताः

(तीन) सभी नोटिसों की सेवा के लिए पता।

3–अपील प्राधिकारी की अधिकारिता

अपीलकर्ता घोषणा करता है कि अपील का मामला अपील प्राधिकारी की अधिकारिता में आता है।

4–सीमा

अपीलकर्ता यह भी घोषित करता है कि अपील बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 26ख में यथाविनिर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत है।

5–मामले के तथ्य

यहाँ मामले के तथ्यों और निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील के आधारों का संक्षिप्त विवरण, कालानुक्रमिक क्रम में, प्रत्येक पैराग्राफ में यथासंभव अलग–अलग मुद्दे, तथ्य या अन्यथा को शामिल करते हुए दिया गया है।

6–मांगी गई राहत (या राहतें)

पैराग्राफ 5 में उल्लिखित तथ्यों और जिन आधारों पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है, उन्हें देखते हुए, अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत (या राहतें) के लिए प्रार्थना करता है।

[यहाँ मांगी गई राहत (या राहतें) और जिस विधिक उपबंध पर निर्भरता है, उसे विनिर्दिष्ट करें]

7–मांगी गई अंतरिम राहत (या राहतें) (यदि प्रार्थना की गई है)

अपील में अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, अपीलकर्ता निम्नलिखित अंतरिम राहत (या राहतें) चाहता है।

(यहां मांगी गई अंतरिम राहत/(राहतें) विनिर्दिष्ट करें और उसके कारण बताएं)

8–किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं मामले

अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि जिस मामले के सम्बन्ध में यह अपील दायर की गई है, वह किसी विधि, न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

9–अनुक्रमणिका, का विवरण

जिन दस्तावेजों पर निर्भरता है, उनके विवरण वाली अनुक्रमणिका संलग्न है।

10–संलग्नकों की सूची

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/2024/990/XXXVI-3–2024-1815418, dated August 29, 2024:

No. 6/2024/990/XXXVI-3–2024-1815418

Dated Lucknow, August 29, 2024

THE following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers conferred in section 29 of the Boilers Act, 1923 (Act no. 5 of 1923) as amended by the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (Act no. 18 of 2023) are hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof.

All objections and suggestions should be sent in writing addressed to the Principal Secretary, Shram Anubhag-3, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Lucknow, 226001.

Only those objections and suggestions as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette* shall be considered.

DRAFT RULES

The Uttar Pradesh Boiler Penalty and Appeal Rules, 2024

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Boiler Penalty and Appeal Rules, 2024.

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the official *Gazette*.

Definitions

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Boilers Act, 1923(Act no.5 of 1923);

(b) "Adjudicating Officer" means a person authorized as the Adjudicating Officer under sub-section (1) of section 26A of the Act;

(c) "Appellate Authority" means a person authorized as the Appellate Authority under sub-section (1) of section 26B of the Act;

(d) "Boiler" means a pressure vessel in which steam is generated for use external to itself by application of heat which is wholly or partly under pressure when steam is shut off but does not include a pressure vessel,-

(i) with a capacity less than 25 liters (such capacity being measured from the feed check valve to the main steam stop valve); or

(ii) with less than one kilogram per centimeter square design gauge pressure and working gauge pressure; or

(iii) in which water is heated below one hundred degrees centigrade;

(e) "Chief Inspector", "Deputy Chief Inspector" and "Inspector" mean, respectively a person appointed to be a Chief Inspector, Deputy Chief Inspector and Inspector under this Act;

(f) "Inquiry" means the inquiry mentioned in section 26A of the Act;

(g) "Owner" [Includes any person possessing or] using a boiler as an agent of the owner thereof and any person using a boiler which he has hired or obtained on loan from the owner thereof:

(2) words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

Manner of holding inquiry and Imposition of Penalties (under section 26A)

3. (1) On receipt of a report from the Inspector, the Chief Inspector shall examine the case according to the provisions of the Act, rules and regulations made there under which the owner (s) has been charged as to whether the contraventions are punishable with penalty under sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30 the Act or no contravention is established.

(2) If the Chief Inspector decides that such contravention is punishable with penalty under sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30 of the Act, he shall cause and authorize the Inspector to file with the Adjudicating Officer, an application (Form A) for adjudication of the offence alleged to have been committed by the owner in respect of which the report has been received.

(3) On receipt of the communication from the Chief Inspector authorizing the filing of the adjudication application, the Inspector shall file the application with the Adjudicating Officer for adjudication of the contravention alleged to have been committed.

(4) On receipt of the application for adjudication from the Inspector, the Adjudicating Officer shall commence the inquiry proceedings under section 26A of the Act.

(5) For holding an inquiry for the purpose of adjudication under section 26A of the Act as to whether any owner (owners) has or have committed contravention of any of the provisions of sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30 the Act in respect of which the contravention is alleged to have been committed, the Adjudicating Officer shall, in the first instance, issue a notice (Notice P1) to such owner (owners) giving him or them an opportunity for hearing in the matter within a period of 30 days.

(6) The notice to such owners (s) shall indicate the nature of offence alleged to have been committed by him or them, the sections of the Act alleged to have been contravened, and the date of hearing of the matter. A copy of the report of the Inspector shall also be annexed to such notice.

(7) On the date fixed for hearing, the Adjudicating Officer shall explain to the owner (owners) or to his authorized representative, the offence alleged to have been committed by such person, indicating the provision of the Act in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(8) The Adjudicating Officer shall give an opportunity to such owner (owners) to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date:

Provided further that the Adjudicating Officer will have the power of Civil Court, the case shall be summarily disposed off within a period of sixty days from the dare of filing and shall pass the final order within 90 days with recorded reason of delay.

(9) While holding an inquiry under this rule, the Adjudicating Officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Adjudicating Officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(10) If any person fails, neglects or refuses to appear as required by sub-rule (5) and (6) before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer may issue a reminder or may proceed with the inquiry in the absence of such person, after recording the reasons for doing so.

(11) If upon consideration of the evidence produced before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer is satisfied that the owner (owners) against whom the inquiry has been conducted, is liable to penalty under any of the provisions of sections 22, 23, sub-section (1) of section 25 and section 30 the Act, he may, by order in writing, impose such penalty as he thinks fit, in accordance with the provisions of the relevant section or sections of the Act and rules and regulations framed thereunder (Form P-2):

Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned reasonable opportunity of being heard.

(12) If, however, the Adjudicating Officer is satisfied that the owner (s) against whom the inquiry has been conducted for the contravention of provisions of the Act, has or has not been proved beyond doubt, the Adjudicating Officer shall dismiss the case with the recorded reason to do so.

(13) Every order made under sub-rule (11) shall specify the provisions of the Act in respect of which the contravention has taken place and shall contain brief reasons for such decision. While imposing penalty, the Adjudicating Officer shall have due regard to the provisions of section 26A of the Act. Such penalty will be remitted to the Government treasury of Uttar Pradesh within 60 days.

(14) Every such order shall be dated and signed by the Adjudicating Officer.

(15) The Adjudicating Officer shall send a copy of the order made under sub-rules (11) or (12) to the owner (s) against whom the inquiry was conducted and the inspector who has filed the application for adjudication,

(16) A notice or an order issued under these rules shall be served on the owner (s) against whom the adjudication proceedings were held or inquiry has been conducted, in any of the following manner:-

(i) by delivering or tendering it to that owner (s) or his duly authorized representative; or

(ii) by sending it to the owner (s) by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or

(iii) if it cannot be served in the manner specified under sub-rule (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain and written report thereof should be witnessed by two persons.

(17) In case the owner does not deposit the penal amount in the Govt. Treasury within 60 days from passing the order by the Adjudicating Officer unless appealed to the higher authority, the Chief Inspector of boiler will proceed to issue notice in from P-3, asking the District Magistrate of the concerned district to recover the said amount as arrears of land revenue as per Section 32 of Act.

Manner of preferring appeal under section 26B

4. (1) An appeal under section 26B of the Act, arising out of a decision of the Adjudicating Officer appointed under section 26A of the Act, shall be filed in Form 'B' with the appellate authority (Secretary Labouar, Government of Uttar Pradesh) within a period of 60 days from the date on which the copy of the order against which the appeal is filed, is received by the appellant.

(2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of 60 days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) The appeal shall be accompanied by a copy of the order of the Adjudicating Officer issued under sub-rule (11) of rule 3 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant sections of the Act.

(4) The appeal shall be presented in triplicate by the appellant in person or by his duly authorized agent in writing or by registered Post or speed post.

(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been presented to the Appellate Authority on the day it is received.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be ir order, it shall be duly registered and given a registration number.

(7) If on scrutiny, the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within 21 days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is not rectified, the Appellate Authority, may, for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal.

(8) A copy of the appeal shall be served by the Appellate Authority on the respondent as soon as it is registered, by hand delivery or by registered post or speed post.

(9) On admission of the appeal, the Appellate Authority may call for the records relating to the proceedings from the respective Adjudicating Officer.

(10) Respondent may, within 30 days of service of notice of appeal, file a reply on the appeal to the Appellate Authority.

(11) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may think fit, confirming, setting aside the order appealed against.

(12) The order of the Appellate Authority shall be signed and dated. The Appellate Authority shall have powers to pass interim orders or in junction, subject to reasons to be recorded in writing, which he considers necessary in the interest of justice.

(13) A certified copy of every order passed by the Appellate Authority shall be communicated to the Adjudicating Officer and to the parties, as the case may be.

(14) The appeal shall be summarily disposed off within a period of 60 days from the date of receipt to the Appellate Authority.

By order,

ANIL KUMAR,

Pramukh Sachiv.

Form-A

[See rule -3 (2)]

No. ..... Dated:

To

The District Magistrate

.....

.....

Subject: Violation of the Boilers Act, 1923

Respected Sir,

This is informed that a boiler having Registry No. ...../Maker No.....is found running in violation of the provision section.....of the Boiler Act, 1923 in the premises of M/s.....at..... (copy of Inspection Memo is attached herewith) on dated .....

The following violations have been found in contravention of the Boilers Act, 1923:

.....
.....
.....

The above violation/s attracts penalties in accordance with the Uttar Pradesh Boiler Penalty and Appeal Rules, 2024 framed under the provisions of the Boiler Act, 1923. Therefore, as per clause 3 (2) of these rules, you are kindly requested to take appropriate action as Adjudicating Officer as per section 26A of The Boilers Act, 1923 and Uttar Pradesh Boiler Penalty and Appeal Rules, 2024 by sending a notice to the aforesaid Establishment and hold an inquiry, if deemed necessary to impose penalties as per the said Act/Rule.

Inspector of Boiler, Uttar Pradesh

Copy to :-

1. Chief Inspector of Boilers, U.P. for information and necessary action, please

NOTICE (P-1)

[(see rule 3 (5)]

No. ..... Dated:

To,

.....

.....

.....

Subject: Violation of the Boilers Act, 1923

Respected Sir,

As per the report received from the Chief Inspector of Boiler, Uttar Pradesh, in Form-A vide letter No.....Dated.....(copy attached) you are found using boiler Registry No...../Maker No.....in your factory premises at.....on.....which is violation of the Section..... of The Boiler Act, 1923.

The following violations have been informed by Chief Inspector of Boiler, Uttar Pradesh:-

.....

.....

.....

As per provisions of sections 22, 23, Sub-section (1) of Section 25 and Section 30 of the Boiler Act, 1923 and Uttar Pradesh Boiler Penalty and Appeal Rules, 2024 above violation attracts Penalty.

Through this notice, an opportunity is given to you to explain your position in this regard along with supporting documents within 30 days from the receipt of this notice. In case, no reply is received within 30 days, further action shall be taken to impose the penalty as per the aforesaid Act and the Rules.

District Magistrate
(Adjudicating Officer)

Encl:.....No. Dated:

Copy to :-

Chief Inspector of Boiler, Uttar Pradesh.r.t.letter No..... dated.....

District Magistrate
(Adjudicating Officer)

PENALTY NOTICE (P-2)

[see rule 3(11)]

No: Dated:

To,

M/s.....

.....

.....

Subject: Violation of the Boilers Act, 1923

You were issued a notice vide No.....dated .....to explain your position for use of Boiler Registry No...../Maker No.....in Violation of section..... The Boiler Act, 1923.

The explanation given by you along with documentary evidence have been considered and you are thus found liable to pay a penalty for the contravention of provisions of the Boilers Act, 1923.

You are hereby directed to pay a sum of Rs..... only into Govt. Treasury on or before..... and to produce a copy of the relevant treasury receipt. In case of failure to deposit the amount in time, the amount will be recoverable from you as arrears of land revenue. The Boiler is prohibited from further use until approved/allowed by Chief Inspector of Boiler, Uttar Pradesh under The Boiler Act, 1923.

District Magistrate
(Adjudicating Officer)

Copy to :-

Chief Inspector of Boiler, Uttar Pradesh.r.t.letter No..... dated.....

NOTICE FROM (P-3)

[(rule no. 3(17)]

Office of Chief Inspector of Boilers, Uttar Pradesh

RECOVERY CERTIFICATE

No: Dated:

M/s.....was issued a Notice from P-1 (No.....Dated.....) by the District Magistrate, Adjudicating Officer under the provisions of Uttar Pradesh Boilers Penalty and Appeal Rules, 2024, for violation of section.....The Boilers Act, 1923.

The reply of the Establishment was not received/considered by the adjudicating officer and a penalty notice was issued (Notice P-2) to deposit a penal amount of Rs..... in Government Treasury by..... .The Establishment has failed to deposit this amount in the Government Treasury.

Therefore, in the exercise of powers conferred by Rule 3 (17) of "Uttar Pradesh Boiler Penalty and Appeal Rules, 2024", it is hereby certified that a sum of Rs.....is recoverable as arrears of land revenue from M/s..... on account of contravention of the Boilers Act, 1923. The amount may be deposited in the Government Treasury.

Chief Inspector Boilers, Uttar Pradesh

FORM 'B'

[(see rule 4(1)]

Memorandum of Appeal

Before the Appellate Authority

In the matter of the Boilers Act, 1923

AND

In the matter of Appeal against the order dated.....passed by the

Adjudicating Officer,..... (Place)

APPEAL NO..... of.....

.....Appellant

Vs

.....Respondent

For use in the Appellate Authority's office

Date of presentation of Appeal

Date of receipt by

Post Registration

No.

Signature

INDEX

(Specimen Index)

Sr. No.	EXHIBIT PARTICULARS No.	Page
1	Appeal	
2	Copy of the Show Cause Notice dated.....issued by the Adjudicating Officer.	
3	Copy of the Reply dated.....sent by the Appellant to the Show Cause Notice.	
4	Copy of the impugned order dated.....	

_____

APPEAL

1. Particulars of the Appellant

(i) Name of the Appellant:
(ii) Address of the Appellant:
(iii) Address for service of all notices
(iv) Mobile No. of the Appellant
(v) E-mail address

2. Particulars of the Respondent

(i) Name of the Respondent:
(ii) Address of the Respondent:
(iii) Address for service of all notices

3. Jurisdiction of the Appellate Authority

The Appellant declares that the matter of Appeal falls within the jurisdiction of the Appellate Authority.

4. Limitation

The Appellant further declares that the Appeal is within the limitation as specified in section 26B of the Boilers Act, 1923.

5. Facts of the case

Here give a concise statement of facts of the case and grounds of Appeal against the specified order, in a chronological order, each paragraph containing as neatly as possible a separate issue, fact or otherwise.

6. Relief(s) sought

In view of the facts mentioned in paragraph 5 and the grounds on which the impugned order is challenged, the Appellant prays for the following relief(s)

(Here specify the relief(s) sought and the legal provision, if any, relied upon)

7. Interim relief(s) sought (if prayed for)

Pending the final decision in the Appeal, the Appellant seeks the following interim relief (s).

(Here specify the interim relief(s) prayed for and the reasons therefore)

8. Matters not pending with any other court

The Appellant further declares that the matter regarding which this Appeal has been filed is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal.

9. Details of Index

An index containing the details of the documents relied upon is enclosed.

10. List of enclosures.

(Signature of the Appellant)

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 243 राजपत्र–2024–(642)–599+50=649 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।